न्यायालय लेण्ड रेकार्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारीः— दिवांशु शर्मा, R.A.S.)

प्रकरण संख्या — 19 / 2019 (प्रा0प0)

दर्ज दिनांकः— 07 / 02 / 2019

निर्णय दिनांकः— 28 / 02 / 2020

अनवान

1. प्तापी बाई पति स्व. रामचंद्र जाट निवासी छडंगा का खेडा तहसील रेलमगरा

प्रार्थी

बनाम

1. नारायणलाल पिता वरदा जाति भील निवासी चराणा तहसील रेलमगरा
2. गोपाल लाल पिता नाथुलाल सुनार निवासी चराणा तहसील रेलमगरा
3. ओम प्रकाश पिता नाथुलाल सुनार निवासी चराणा तहसील रेलमगरा
4. गोविन्द लाल पिता नाथुलाल सुनार निवासी चराणा तहसील रेलमगरा
5. मोहनलाल पिता सुरजमल जाट निवासी चराणा तहसील रेलमगरा
6. तहसीलदार रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129 सपठित धारा 111 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीया द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129 सपठित धारा 111 भू राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम चराणा तहसील रेलमगरा की सीमा में आराजी संख्या 3110/933 रकबा 5—00 बीघा किस्म बारानी जो प्रार्थीया के स्वामित्व व आधिपत्य की है। प्रमाण में नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है। उक्त आराजी संख्या 3110/933 के पश्चिमी दिशा में विपक्षीगण संख्या 01 के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी संख्या 2879/317/1 रकबा 1—16 बीघा किस्म बारानी भूमि स्थित है तथा उत्तर पश्चिम दिशा में भी आराजी संख्या 933 बिलानाम सरकार रकबा 4—13 बीघा किस्म मगरी स्थित है तथा उक्त आराजी संख्या 3110 /933 के पूर्वी दिशा में आराजी संख्या 2863/933 रकबा 1—02 बीघा किस्म बंझड बिलानाम सिवाय चक काबिल काश्त स्थित है तथा उक्त आराजी संख्या 3110/933 के उत्तर दिशा में विपक्षीगण संख्या 02 से लगायत 04 की संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी संख्या 2866/932 रकबा 05 बिस्वा किस्म बारानी स्थित है तथा आराजी संख्या 2867/933 रकबा 07—05 बीघा किस्म बंझड है इसमें से 10 बिस्वा रास्ता स्थित है तथा उक्त आराजी संख्या 3110/933 के दक्षिण दिशा मे आराजी संख्या 3111/933 रकबा 04 बीघा किस्म बारानी विपक्षी संख्या 05 के स्वामित्व व आधिपत्य की स्थित है। प्रमाण में जमाबंदी व नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ संलग्न है। उपरोक्त आराजी संख्या 3110/933 एवं विपक्षीगण की उपरोक्त वर्णित आराजीयात के मध्य स्थाई सीमा अंकन के रूप में कोई सीमा चिन्ह अंकित नहीं है न ही उस पर कोई फैसिंग डोल, पत्थर बाड इत्यादि है। जिससे विपक्षीगण सीमा सम्बधिंत विवाद आये दिन प्रार्थीया के साथ करते रहते है। जिससे सीमा सम्बंधि स्थाई समस्या के लिए प्रार्थीया अपनी उक्त खातेदारी की उक्त

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

आराजीयात के चारो दिशा में सीमाकंन चिन्ह के रूप में पत्थरगडी करवाना चाहते है। जिसके लिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। उक्त आराजी सख्या 3110/933 के सीमा सम्बंधित विवादों के निस्तारण के लिए प्रार्थीया द्वारा दिनांक 22/12/2018 का उक्त आराजी की सीमा जानकारी करवाई तथा उसके अनुसार सीमाबंदी करने के लिए विपक्षीगण को कहां गया, उनके द्वारा लडाई झगडा करने पर उतारू हुऐ जिससे प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र का हेतुक दिनांक 22/12/2018 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। उक्त आराजी संख्या 3110/933 के पडौसी, आराजी संख्या 933 व 2863/ 933 बिलानाम सरकार होने से उनकी ओर से विपक्षी संख्या 6 भूमिधारक होने से तथा सम्भावित आपत्ति के निराकरण हेतु उन्हें भी आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया के स्वामित्व आधिपत्य की कृषि आराजी संख्या 3110/933 रकबा 5–00 पांच बीघा के बीच एवं उक्त आराजी के चारो दिशाओं में स्थित कृषि आराजी संख्या 3079/317/1, 933 व 2867/933 तथा 2863/933 एवं 3111/933 के बीच अर्थात प्रार्थीया की आराजी संख्या 3110/933 के चारों दिशाओं में स्थाई सीमाकंन चिन्ह के रूप में पत्थरगढी के लिये तहसीलदार महोदय रेलमगरा को कमीश्नर नियुक्त फरमाया जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

मामलें में प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि प्रकरण एक तरफा होकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का खण्डन नही किया गया है। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाकंन कराये जाने का अधिकार निहीत है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र का स्वीकार किया जाकर ग्राम चराणा स्थित प्रार्थीया के स्वामित्व आधिपत्य की कृषि आराजी संख्या 3110/933 रकबा 5–00 पांच बीघा के बीच एवं उक्त आराजी के चारो दिशाओं में स्थित विपक्षीगण की कृषि आराजी संख्या 3079/317/1, 933 व 2867/933 तथा 2863/933 एवं 3111/933 के बीच पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी की जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 28/02/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
लेण्ड रेकार्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा